मुम्ताज़ यूनुस मुलानी

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

(2008 की सिविल अपील सं. 2002)

14 मार्च, 2008

(एस. बी. सिन्हा और वी. एस. सिरपुरकर, जे.)

सेवा कानूनः

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति- आवेदक के पति की एक धर्मार्थ और सहायता प्राप्त सेवा शैक्षणिक संस्थान में सेवा के दौरान मृत्यु हो गई- आवेदक को उसके पति और पारिवारिक पेंशन पुनः परिक्षण लाभ प्राप्त हो रहा है- इस बीच मृतक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया गया- योजना के मद्येनजर आवेदक की नियुक्ति अस्वीकार कर दी गई- हेल्डः अनुकंपा के आधार पर नौकरी का अधिकार उस समय चल रही योजना पर निर्भर करेगा- तथ्यों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि समय की प्रासंगिक अवधि में योजना के संचालन के मद्येनजर आवेदक ने मानदंडो को पूरा नहीं किया- विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई मामला संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत नही पाया गया- भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 136- राज्य सरकार महाराष्ट्र आदेश दिनांकित 31-12-2002.

अपीलार्थी के पति की मृत्यु दिनांक 6.9.1996 पर हुई प्रत्यर्थी उस समय एक सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थान मे कार्यरत था। अपीलार्थी के आवेदन के बाद से उसकी अनुकंपा नियुक्ति को संस्थान ने अस्वीकार कर दिया गया था, उसने एक रिट याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

मृतक की पत्नी द्वारा दायर तत्काल अपील में, उत्तरदाता- संस्था के लिए यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता को उसके पति की मृत्यु पर पुनर्प्राप्ति लाभ प्राप्त हुआ था और वह पारिवारिक पेंशन भी प्राप्त कर रही थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि मृत्यु पर अपीलकर्ता के पति के स्थान पर अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया गया था और अपीलकर्ता को समायोजित करने के लिए उसे सेवा से हटाना संभव नही था ।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए माना किः

1.1 अनुंकपा आधार पर नियुक्ति केवल मृतक के परिवार के अचानक संकट से निपटने के लिए दी जा सकती है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने का अधिकार क्षेत्र में संचालित योजना पर निर्भर करेगा। यह सच हो सकता है कि किसी दिए गए मामले मे, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मृतक के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन के माध्यम से कुछ राशि मिल रही थी। हांलाकि, अब यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्त्रोत नही है। ऐसी परोपकारी योजना बनाने का कारण यह देखना है कि मृतक के आश्रित आजीविका के साधन से वंच्छित ना हो जाये और यह योजना मृतक के परिवार को अचानक आये वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाता है। [पैरा8-10] [245-एफ, 246-ए.बी,सी]

पंजाब नेशनल बैंक बनाम अश्विनी कुमार तनेजा (2004)7 एससीसी 265, श्रीमती सुषमा गोसाई और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य(1989)(4) एससीसी 468, जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य बनाम सजाद अहमद मीर (2006)5 एससीसी 766, उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (1994)4 एससीसी 138, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं अन्य बनाम नीरज कुमार सिंह 2007(2) स्केल 525 एवं

आईजी (कार्मिक) एवं अन्य बनाम प्रहलाद मणि त्रिपाठी (2007)6 एससीसी 162- पर आधारित

महाप्रबंधक (डी एंड पीबी) एवं अन्य बनाम कुंती तिवारी एवं अन्य(2004)7 एससीसी 271, गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य (2005)10 एससीसी 289-संदर्भित।

1.2 वर्तमान मामले में, उत्तरदाता एक धर्मार्थ संस्था है। यह सरकारी सहायता पर चलता है। यह किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त करने का जोखिम नहीं उठा सकता जो स्वीकृत नहीं है। यहा इस बात से इनकार नही किया गया है कि अपीलकर्ता के मृतक पति के स्थान पर एक व्यक्ति को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। इसके अलावा चूंकि अपीलकर्ता के पति की मृत्यु 16-9-1996 को हाे गई थी, रिक्त पद पर नियुक्ति वर्ष 1997 में भरी गई थी, अपीलकर्ता के मामले पर 31 दिसंबर 2002 के सरकारी आदेश मे निहित नीतिगत निर्णय के आधार पर विचार नही किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि प्रासंगिक समय पर जो योजना लागू थी वह यह थी कि यदि मासिक आय 500/- रूपये से अधिक हो तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, लगभग 12 साल बीत चुके है। अपीलकर्ता के बेटे की उम्र करीब 20 वर्ष हैं अैार बेटी की उम्र 16 वर्ष है इसलिए वे बालिग हो गए है। मामले में प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का कोई मामला नही बनना पाया गया है। [पैरा 9,15-17][245-जी, एच; 246-ए; 249-जी; 250-ए-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2008 की सिविल अपील संख्या 2002

1999 की रिट याचिका संख्या 7369 में बाॅम्बे उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय अैार आदेश दिनांक 19-8-2006 [माकरंड डी अडकर अैार विश्वजीत सिंह अपीलार्थी की अेार से सुधांशु एस चौधरी, नरेश कुमार अैार वी.एन रघुपति उत्तरदाता की अेार से]

निणर्य **जस्टिस एस. बी. सिन्हा** द्वारा सुनाया गया-

1. अनुमति दी गई।

2. क्या इस मामले के तथ्यों अैार परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति उचित है, यह यहां शामिल प्रश्न है।

3. अपीलकर्ता यूनुस दस्तगीर मुलानी की विधवा है। वह उत्तरदाता, व्यावसायिक संस्थान में चपरासी था। यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। अपीलकर्ता के पति की मृत्यु 6-9-1996 को हो गई। उन्होंने अनुंकपा नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया। चूंकि उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, उसने यह आवेदन दिया।

4. हालांकि दूसरे उत्तरदाता ने अपीलकर्ता को अनुकंपा के आधार पर कोई नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। उसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। आक्षेपित निर्णय के आधार पर उक्त याचिका खारिज कर दी गई है।

5. अपीलकर्ता की अेार से उपस्थित विद्वान वकील श्री मकरंद डी. अडकर का कहना है कि अपीलकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने के अधिकार से वंचित करने का कारण, पारिवारिक पेंशन का भुगतान होना है, आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता के पास पालन पोषण करने के लिए एक बडा परिवार है जिसमे उसके दो बड़े बच्चे भी शामिल है। उसे मिलने वाली

पारिवारिक पेंशन केवल 1,100/- रूपये प्रति माह है, उत्तरदाता को उस स्तर पर भी उसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

6. दूसरी अेार, उत्तरदाताअेा की अेार से पेश होने वाले विद्वान वकील का तर्क रहा कि अपीलकर्ता के पति कि मृत्यु के तुरंत बाद, उत्तरदाताअेा ने अपने पति के पुनःप्राप्ति लाभ प्राप्त करने में सहायता करने मे अपीलकर्ता के मामले का समर्थन किया। हालाॅकि वर्ष 1997 मे, एक अन्य व्यक्ति श्री अरूण उत्तरेश्वर को नियुक्त किया गया था, अपीलकर्ता को समायोजित करने के लिए उसे सेवा से बर्खास्त करना संभव नही है।

7. अपीलकर्ता के पति को चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्त किया गया था। विद्यालय एक सहायता प्राप्त संस्था है। हांलाकि राज्य ने उत्तरदाता को अनुकंपा के आधार पर अपीलकर्ता को नियुक्त करने का निर्देश दिया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता हे कि ऐसा निर्देश 31 दिसंबर 2002 के सरकारी आदेश मे निहित योजना के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना के तहत जारी किया गया था। अन्य बातों के साथ उक्त प्रस्ताव इस प्रकार हैः

1) अनुकंपा सिद्धांत पर नियुक्ति देने के संबध में उपरोक्त योजना शिक्षकों के अलावा अन्य सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों पर लागू होगी परन्तु उक्त योजना निजी, प्राथमिक, माध्यमिक अैार उच्च माध्यमिक विद्यालयो अैार प्रशिक्षण विद्यालयो के शिक्षको पर लागू नही होगी।

2) चिकित्सीय कारणों से मृत या सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के रिश्तेदारो के समायोजन से संबंधित नियम संलगन परिशिष्ट "अ " के अनुसार दिया गया है।

3) कर्मचारियों के संबंधित परिजनो द्वारा सेवा हेतु किये जाने वाले आवेदन की जानकारी एंव इसके साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज इस प्रकार होंगे परिशिष्ट 'बी मे उल्लिखित है।

4) यदि अनुकंपा सिद्धांत पर नियुक्ति देने/देने से इंकार करने के संबंध में इस योजना के किर्यान्वयन से पहले निर्णय लिया गया है, तो उन मामलों को समीक्षा के लिए विचार मे नही लिया जाना चाहिए। हालांकि,वे कर्मचारी जो मर चुके है या वे कर्मचारी जो 1 जनवरी,2001 के बाद असाध्य बीमारी के कारण समय से पहले सेवानिवृत्त हो गये हैं, यदि ऐसे परिवार के व्यक्तियों ने अनुकंपा सिद्धांत पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, अैार यदि उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है ऐसे परिजन पुनः नये सिरे से इस योजना मे अपना आवेदन जमा कर सकते है।

8. यह तथ्य कि अपीलकर्ता पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, विवाद में नही है। जवाबी हलफनामे मे यह भी कहा गया है कि उसे अचल संपत्तियों से आय है, जिसके संबंध में कोई इनकार या विवाद नहीं है।

9. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल मृतक के परिवार पर अचानक आए संकट से निपटने के लिए दी जा सकती हैं। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने का अधिकार क्षेत्र में संचालित योजना पर निर्भर करेगा। [उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाण राज्य एवं अन्य [(1994)4 एससीसी 138]; अैार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं अन्य बनाम नीरज कुमार सिंह [2007(2)स्केल 525]

10. उच्च न्यायलय ने अपने फैसले में कहा था कि जो योजना प्रासंगिक समय पर चालू थी उसके अनुसार यदि मासिक आय 500/- रूपये से अधिक हो तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। जाहिर है, अपीलकर्ता ने उक्त मानदंडो को पूरा नही किया। यह सच हो सकता है कि किसी दिए गए मामले में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मृतक के आश्रित को पारिवारिक पेंशन के माध्यम से कुछ राशि मिल रही थी।

11. हालांकि, अब यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्त्रोत नहीं है। राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ऐसी परोपकारी योजना बनाने का कारण यह देखना है कि मृतक के आश्रितों को आजीविका के साधनों से वंचित न किया जाए। यह केवल मृतक के परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाता है। (आई.जी.(कार्मिक)एवं अन्य बनाम प्रहलाद मणि त्रिपाठी [(2007) 6 एससीसी 162])।

12. महाप्रबंधक(डी एंड पीबी) एवं अन्य बनाम कुंती तिवारी अैार अन्य [(2004)7 एससीसी 271], इस न्यायालय ने निम्नानुसार कानून निर्धारित किया;

> "8. भारतीय बैंक संघ की इस सिफारिश को उस योजना में स्वीकार कर लिया गया जिसे अंततः1-1-1998 को तैयार किया गया था जहां परिवार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए समान मानदंड निर्धारित किए गए थे। यॅहा ध्यान दिया जा सकता हैं कि व्यक्त भाषा में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आधार; सार्वजनिक सेवाअेा ं में नियुक्तियों पूरी तरह से आवेदनों के खुले आमंत्रण अैार योग्यता के आधार पर की जाती हैं। हालांकि काम के दौरान मरने वाले अैार अपने परिवार को दरिद्रता में अैार आजीविका के किसी भी साधन के बिना छाेडने वाले कर्मचारियों के आश्रितों के पक्ष में अपवाद बनाए गए है।"

13. हालाॅकि, हम देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक बनाम अश्विनी कुमार तनेजा [(2004)7 एससीसी 265] में, यह न्यायालय श्रीमती सुषमा गोसाई अैार अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के निर्णय पर निर्भर था [1989(4)एससीसी 468] उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया कि;

"9. एक अैार बात जिस पर गौर करना जरूरी है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय क्या सेवानिवृत्ति लाभों को शामिल किया जाना है। उच्च न्यायालय का विचार था कि इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण हाल ही मे जीएम (डी एंड पीबी) बनाम कुंती तिवारी में अभिनिर्धारित तथ्यो के विपरीत है जॅहा यह स्पष्ट रूप से माना गया कि राशियों को ध्यान मे रखा जाना चाहिए। बैंक मे अनुकंपा आधार पर बैंक सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों के रोजगार के लिए योजना (संक्षेप मे 'योजना') नामक एक योजना चल रही थी जिसके अनुसार 'परिवार की आर्थिक स्थिति का अर्थ; नौकरी के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि परिवार के पास आजीविका के पर्याप्त साधन न हों, विशेष रूप से निम्नलिखित को ध्यान में रखतें हुए

(ए) पारिवारिक पेंशन।

(बी) ग्रेच्युटी राशि प्राप्त हुई।

(सी) कर्मचारी नियुक्ति का पीएफ में योगदान।

(डी) बैंक या उसके द्वारा भुगतान किया गया कोई मुआवजा कल्याण कोष

(ई) मृत` कर्मचारी की एलआईसी पोंलिसी अैार अन्य निवेश की आय।

(एफ) अन्य स्त्रोतों से परिवार की आय।

(एच) परिवार के अन्य सदस्यों का रोजगार।

(आई) परिवार का आकार अैार उत्तरदायित्व, यदि कोई हो, आदि।"

यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता बैंक के निदेशक मंडल ने उपरोक्त योजना को मंजूरी दे दी थी, जो कि भारतीय बैंक संघ द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को प्रसारित दिशानिर्देशों पर आधारित थी जो माननीय न्यायालय द्वारा उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य के मामले मे निर्धारित कानून के परिणाम स्वरूप स्वीकृत की गई थी। अनुमोदन के बाद योजना पीडीसीएल 6/97 के साथ पठित पीडीसीएल 11/99 दिनांक 17-4-1999 के माध्यम से परिपारित की गई।

14. गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य [(2005)10 एससीसी 289] मे यह प्रश्न एक बार फिर विचार के लिए आया जिसमे यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

> "6 हमारे विचार में, विभागीय अधिकारियों अैार विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए मृतक की विधवा को पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि पर विचार करना पूरी तरह से प्रासंगिक था (अपीलकर्ता के अनुसार, यह राशि अब समाप्त हो गई है) नियमो के तहत सेवात लाभों के कारण भुगतान की गई अन्य राशि को आधा कर दिया गया है। कर्मचारी को इसलिए, अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नही किया जा सकता है कि परिवार के किसी भी सदस्य को नियमों के तहत स्वीकार्य राशि प्राप्त हुई है। जहां तक बडे भाई के लाभकारी रोजगार का सवाल है हम पाते है कि यह दिया गया था वह खेती मे लगा हुआ है। हमे शायद ही लगता है कि अगर परिवार के पास जमीन का एक टुकड़ा है अैार परिवार का कोई सदस्य खेत पर

खेती करता है तो उसे लाभकारी रोजगार माना जा सकता है। इस कथन का खंडन तब हुआ जब कहा गया कि बडे भाई ने कहा था कि वह पेंटर का काम करता है। यह आवश्यक रूप से कोई विरोधाभास नही होगा जिससे यह निष्कर्ष निकले कि वह एक चित्रकार के रूप मे कही लाभप्रद रूप से कार्यरत था। हो सकता है कि यह अपने क्षेत्र में काम कर रहा हो अैार उसे आकस्मिक रूप से चित्रकार के रूप में भी काम कर रहा हो। वह नियमित पेंटर के रूप में कहा कार्यरत था, इसके बारे मे जाॅच रिपोर्ट में कुछ भी नही बताया गया है। अन्य पहलू जिन पर अधिकारी को पूछताछ करने की आवश्यकता थी, को आसानी से छोड दिया गया है अैार प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई फुसफुसाहट भी नही है। अधिकारी द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों में, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश टिकाऊ नहीं है। प्रतिवादियों ने गलत तरीके से अपीलकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार कर दिया है। बड़े भाई की लाभकारी नाैकरी के अनुमान पर कार्य नही किया जा सकता है। विधवा को प्राप्त टर्मिनल लाभ अैार पारिवारिक पेंशन को ध्यान में नही रखा जा सकता है।"

हालाकि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इसमें इस न्यायलय की पिछली बाध्यकारी मिसाल पर ध्यान दिया गया था।

15. एक बार फिर जम्मू-कश्मीर अैार अन्य राज्य बनाम सज्जाद अहमद मीर [(2006) 5 एससीसी 766] में कानून निम्नलिखित शर्तो में निर्धारित किया गया थाः

"11 हम यह भी देख सकते है कि जब उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच आवेदक के मामले पर विचार कर रही थी कि उसने करूणा मांगी

थी, तो बेंच को बडे मुद्दे पर भी विचार करना चाहिए था अैार वह यह है कि ऐसी नियुक्ति सामान्य नियम का अपवाद है। आम तौर पर, सरकार या अन्य सार्वजनिक क्षेत्रो में रोजगार उन सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुला होना चाहिए जो आवेदन करने अैार एक-दूसरे से साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे आ सकें यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। प्रतिस्पर्धी योग्यताअेां के आधार पर, सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्ति की जानी चाहिए। इस सामन्य नियम को तब तक नहीं हटाया जाना चाहिए जब तक कि बाध्यकारी परिस्थितियों की आवश्यकता न हो, जैसे कि एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु अैर झटके के कारण परिवार के पीडित होने की संभावना। एक बार यह साबित हो गया है कि कमाने वाले की मृत्यु के बावजूद, परिवार जीवित रहा अैार पर्याप्त अवधि समाप्त हो गई, नियुक्ति के सामन्य नियम को अलविदा कहने अैार कई लोगों के हितों की कीमत पर एक का पक्ष लेने की कोई आवश्यकता नही है। एक की किमत पर अन्य लोग के अधिकारो का हनन संविधान के अनुच्छेद 14 के आदेशों की अनदेखी है।"

16. इस मामले में, उत्तरदाता एक धर्मार्थ संस्था है। यह सरकारी सहायता पर चलता है। यह किसी ऐसे पद पर व्यक्तियों को नियुक्त करने का जोखिम नही उठा सकता जो स्वीकृत नहीं किया गया है। इस बात से इनकार या विवाद नहीं किया गया है कि अरूण उत्तेरेश्वर पहले से अपीलकर्ता के मृत पति के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इससे कोई फर्क नही पडता कि उक्त् नियुक्ति को राज्य द्वारा अनुमोदित किया गया है या नहीं, जैसे कि ऐसा नही किया गया था, नीतिगत निर्णय के आधार पर इसका संकल्प

दिनांक 31-1-2002 का है, यह मायने नही रखता है क्योंकि अपीलकर्ता के पति की पहले ही दिनांक 16-9-1996 को मृत्यु हो चुकी है अैार रिक्ति वर्ष 1997 में भरी गई थी।

17. इसके अलावा, लगभग 12 साल बीत चुके है। अपीलकर्ता के बेटे की उम्र करीब 20 साल अैार बेटी की उम्र करीब 16 साल है। इसलिए वे बालिग हो गए है। अपीलकर्ता स्वयं अब लगभग 38 वर्ष की होगी। इस उम्र मे उन्हे कोई नियुक्ति नही दी जा सकती है।

18. इस मामले में प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी राय यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारे विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई मामला नही बनना पाया गया है। अतः यह अपील खारिज की जाती है। कोई लागत नही।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रेखा चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।